कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या

(खनन अनुभाग)

संख्याः 524 /क्वैरी कार्यालय/2024–25 दिनांकः 14 अक्टूबर 2024

ई–निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खान निरीक्षक, अयोध्या की जॉच आख्या दिनांक 24.07.2024 तहसील सदर ग्राम मांझा बरहटा और मांझा तिहुरा के स्थलीय जॉच के दौरान गाटा संख्या 1018, 1021/1602, 1034, 1037, 1038, 1040/1042, 1051, 1052, 1093, 1099, 1186, 1046, 1048, 1092 में लगभग 6034 घन0मी का भण्डारण किया जाना पाया गया, जिसे जिलाधिकारी व सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेशो तक सा0 बालू को सीज कर पुलिस विभाग कोतवाली अयोध्या की अभिरक्षा में दिया गया। जॉच आख्या दिनांक 27.07.2024 तहसील रूदौली ग्राम हलीमनगर जी0डी0 ईट भट्ठा के पुरानी चिमनी के पीछे लगभग 423 घन0मी व ग्राम भेलसर टिकैट नगर रोड़ के पश्चिम दिशा की तरफ लगभग 240 घन0मी का भण्डारण किया गया है जिसे जिलाधिकारी व सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक सा0 बालू को सीज कर पुलिस विभाग रूदौली की निगरानी में दिया गया। जॉच आख्या दिनांक 29.05.2023 तहसील सोहावल ग्राम हरीपुर जलालाबाद के स्थलीय जॉच के दौरान गाटा संख्या 416 में लगभग 1540 घन0मी का भण्डारण किया गया है जिसे जिलाधिकारी व सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक सा0 बालू को सीज कर कान्स्टेबल मंजेश सिंह व कान्स्टेबल विनोद कुमार चौकी इण्डस्ट्रीयल एरिया थाना कैण्ट की अभिरक्षा में दिया गया। जॉच आख्या दिनांक 23.05.2023 तहसील सोहावल ग्राम हरिपुर जलालाबाद के स्थलीय निरीक्षण के दौरान गाटा संख्या 425क/0.145 हे0 में लगभग 4320 घन0मी का भण्डारण किया गया है जिसे जिलाधिकारी व सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक सा0 बालू को सीज कर कान्स्टेबल मंजेश सिंह व कान्स्टेबल विनोद कुमार चौकी इण्डस्ट्रीयल एरिया थाना कैण्ट की अभिरक्षा मे दिया गया, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है। इस प्रकार कुल मात्रा 12557 घनमी0 सा0 बालू को ई–निविदा द्वारा निस्तारण हेतु एतद् द्वारा घोषित करते हुये दिनांक 18-10-2024 से दिनांक 25-10-2024 तक सात कार्यदिवसों के मध्य निम्नलिखित शर्तो के अधीन ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ई–निविदा आमंत्रित किया जाता है।

ई–निविदा (E-tendering) हेतु साधारण बालू भण्डारों का विवरण :–

क्र0 सं0	भण्डारण स्थल का विवरण	भण्डारित सा0 बालू की मात्रा (घनमी0 में)	न्यूनतम रायल्टी की दर (रू0 प्रति घनमी0)	न्यूनतम सरकारी बोली की धनराशि (रू0 में)	प्री–बिड अर्नेस्टमनी (कॉलम–5 मेंअंकित धनराशि का 25 प्रतिशत) की धनराशि (रू0 में)	भण्डारित खनिज हटाये जाने (विकय एवं परिवहन) हेतु निर्धारित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम मांझा बरहटा एवं तिहुरा मांझा तहसील सदर, जनपद अयोध्या	6034	65	392210/–	98053/–	01 माह (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)
2	ग्राम हलीमनगर तहसील रूदौली जनपद अयोध्या	663	65	43095/–	10774/–	20 दिन (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)
3	ग्राम हरीपुर	1540	65	100100/–	25025/–	01 माह (परिवहन

Scanned with OKEN Scanner

	जलालाबाद तहसील सोहावल जनपद अयोध्या					प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)
4	ग्राम हरीपुर जलालाबाद तहसील सोहावल जनपद अयोध्या	4320	65	280800/–	70200/–	01 माह (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)

शर्तें

1. ई–निविदा सा0 बालू के प्रति घनमी0 के लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के प्रथम अनुसूची में जनपद अयोध्या के सा0 बालू के लिये विनिर्दिष्ट दर रू0 65 प्रति घनमी से कम नहीं होगी। इस से निम्न ई–निविदा दिये जाने पर ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री–बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम ई–निविदा की दर (रूपये प्रति घनमी0) को उस सा0 बालू भण्डार में आंकलित सा0 बालू की कुल मात्रा (घनमी0) से गुणा कर सम्बन्धित सा0 बालू भण्डार के लिये देय ई–निविदा हेतु प्री–बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
2. इच्छुक निविदाकार ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा व गुणवत्ता एवं पहुँच मार्ग आदि के सम्बंध में मौकें का निरीक्षण कर स्वयं आश्वस्त होले। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बंध में कि किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छुक निविदाकार ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदा शुल्क रू0 2500/– (दो हजार पॉच सौ रूपये) खनन विभाग के लेखा शीर्षक "0853–00–102–01–00" में चालान के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
4. निविदाकार द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों की पी0डी0एफ0 फाइल ई–निविदा के साथ अपलोड़ किया जाना अनिवार्य होगा।

क– सा0 बालू भण्डारण की मात्रा (घनमी0) को नियमावली–2021 की अनुसूची–01 में सा0 बालू के लिये विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 65 प्रति घनमी0 से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसके 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी अयोध्या के पक्ष में देय हो) की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व दिनांक 26-10-2024 को सायं 05:00 बजे तक जिला खनन कार्यालय अयोध्या में प्रस्तुत करना होगा। सा0 बालू भण्डारण की ई–निविदा हेतु प्री–बिड़ अर्नेस्टमनी (EMD) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि व समय तक जमा नही होगा, उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ख–पैनकार्ड एवं आधारकार्ड।

ग–निविदाकार का पता प्रमाणपत्र।

(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोट आई0डी0/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उसके पंजीकरण का विवरण)

घ–खनन देय बकाया न होने के सम्बंध में शपथपत्र।

Scanned with OKEN Scanner

ड़–चरित्र प्रमाणपत्र (जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से सम्बन्धित पुलिस सत्यापन के आधार पर जारी)

5. ई–निविदा आमंत्रण की सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्यदिवसों के अन्दर अर्थात दिनांक 25-10-2024 तक ई–टेण्डर पोर्टल http://etenders.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड़ की जायेगी। बिन्दु संख्या 04 में उल्लिखित/वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड़ किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या 04 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड़ नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

6. दिनांक 25-10-2024 तक प्राप्त ई–निविदाओं को कलेक्ट्रेट अयोध्या परिसर स्थित एन0आई0सी0 के कार्यालय में दिनांक 28-10-2024 को अपराह्न 1:00 बजे खोला जायेगा।

7. ई–टेण्डरिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स को किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करना होगा।

8. इच्छुक ई–निविदाकार को ई–टेण्डर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ई–टेण्डर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा ई–निविदा अपलोड़ करने हेतु किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 अयोध्या से उनके मोबाइल नॅबर 9452805508 पर संपर्क किया जा सकता है। ई–निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के उपरान्त अपनी ई–निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड़ करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगीः–

(1) सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID), व पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

(2) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिगनेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

(3) निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Serch Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Paritipate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

(4) निविदाकार द्वारा कम्पयूटर स्कीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

(5) निविदाकार द्वारा निविदा को समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर–4 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 बनायी जानी होगी।

(6) ई–टेण्डर डाकुमेन्टस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे आफलाइन" (Pay offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्कीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

(7) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

(8) नविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रिबिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(9) यदि निविदा कारको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रकिया को अपनाते हुए ई-निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नही होगी।

9 सा0 बालू भण्डारण में उपलब्ध सा0 बालू के प्रति घनमी0 के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के सफल ई-निविदाकार का चयन होने के उपरान्त टेण्डर समिति की संस्तुति के आधार पर उसे आशय पत्र (Latter Of Intent) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई-निविद प्रस्तुत करने वाले ई-निविदाकार को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिया जायेगा। उच्चतम ई-निविदाकार के मामले में उनके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी की धनराशि को सम्बन्धित सा0 बालू भण्डार के लिये आगणित ई-निविदा की सर्वोच्चतम धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

10. आशय पत्र (Latter Of Intent) प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर सफल निविदाकार को ई-निविदा की शेष सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में सफल निविदाकार द्वारा अर्नेष्ट मनी के रूप में जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये उस सा0 बालू भण्डार को नये सिरे से नीलामी परिहार पर स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

11. सफल निविदाकार द्वारा सर्वोच्च बोली की धनराशि का पॉच प्रतिशत (5 प्रतिशत) की धनराशि परफार्मेन्स सिक्योरिटी (Performance Security) के रूप में किसी अनुसूचित बैंक से प्रत्यय पत्र (Latter of Credit form any Scheduled Bank) अनुपालन या प्रतिभूति बंध पत्र (Performance of Surety Bound) या एफ0डी0आर0 (FDR) जो जिलाधिकारी के पक्ष में बन्धक हो, आशय पत्र प्राप्त करने के तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

12. सफल निविदाकार द्वारा ई-निविदा की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त उन्हें सा0 बालू भण्डार से निर्धारित अवधि के अन्दर सा0 बालू को हटाने (विक्रय व परिवहन करने) हेतु स्वीकृति आदेश प्रदान किया जायेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर शेष बचे सा0 बालू पर राज्य सरकार का अधिकार हो जायेगा।

13. जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. सा0 बालू भण्डार अथवा ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक निविदाकार द्वारा किसी भी कार्य दिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 05:00 बजे अपरान्ह के मध्य जिला खनन कार्यालय अयोध्या से सम्पर्क किया जा सकता है।

15. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

16. स्वीकृत सा0 बालू भण्डार से सा0 बालू का विक्रय व परिवहन जिला खान अधिकारी अयोध्या द्वारा जारी प्रपत्र सी/ई-प्रपत्र सी के माध्यम से किया जायेगा।

17. भण्डारित खनिज को हटाये जाने हेतु निर्धारित समयावधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।

18. सफल ई-निविदाकार द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 एवं जी0एस0टी0 आदि नियमानुसार देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

19. सफल ई–निविदाकार को सा0 बालू परिवहन से पूर्व निकासी मार्ग पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा की व्यवस्था कर उसके अधीन भण्डारित सा0 बालू का परिवहन किया जाना होगा एवं उस की रिकार्डिंग पैन ड्राइव में सुरक्षित कर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

20. जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा कोई अन्य नियम एवं शर्तें लगायी जाती है तो उसे इच्छुक निविदाकार एवं सफल निविदाकार को पालन करना होगा।

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
अयोध्या

संख्या– 524 /क्वैरी कार्या0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2–आयुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या।
3–निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4–प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एंव खनिकर्म, अयोध्या।
5–प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6–निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को मय सी0डी0 छः प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराने हेतु।
7–राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी,लखनऊ।
8–जिला सूचनाधिकारी अयोध्या को निःशुल्क व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद अयोध्या को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

Signature Not Verified
Digitally signed by RAGHVENDRA SINGH
Date: 2024.10.15 18:19:42 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner